13.03.24 पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी या प्रार्थी स्वयं उपस्थित नहीं। बार-बार आवाज लगाने पर भी उपस्थित नहीं हुए। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अदम पैरवी-अदम हाजिरी में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तरतीब-तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार मीणा)
R.A.S

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2024.05.23 10:26:18 IST
Reason: SelfAttested